

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :-20/02/2025

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 29/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बंधित
नामित/वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्र नाथ राय के नेतृत्वमें अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 29/2025 धारा 137(2)/87 BNS से सम्बंधित वांछित/नामितअभियुक्त आकाश गुप्ता उर्फ शालू पुत्र सतीश चन्द्र निवासी मोहल्ला आजाद नगर कोतवाली गुरसहायगंज जनपद कन्नौज को दिनांक 20.02.2025 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आकाश गुप्ता उर्फ शालू पुत्र सतीश चन्द्र निवासी मोहल्ला आजाद नगर कोतवाली गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।

घटना का विवरण:- वादी की तहरीर के आधार पर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बंध में थाना कमालगंज पर दिनांक 08/02/2025 को मु0अ0सं0 29/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम बनाम आकाश गुप्ता पुत्र सतीश चन्द्र निवासी मोहल्ला आजाद नगर कोतवाली गुरसहायगंज जनपद कन्नौज के पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त मे धारा 87 BNS की बढोत्तरी की गयी। दिनांक 20.02.2025 को अभियुक्त आकाश गुप्ता उपोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अपनी सफाई वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय मे देना बताया।

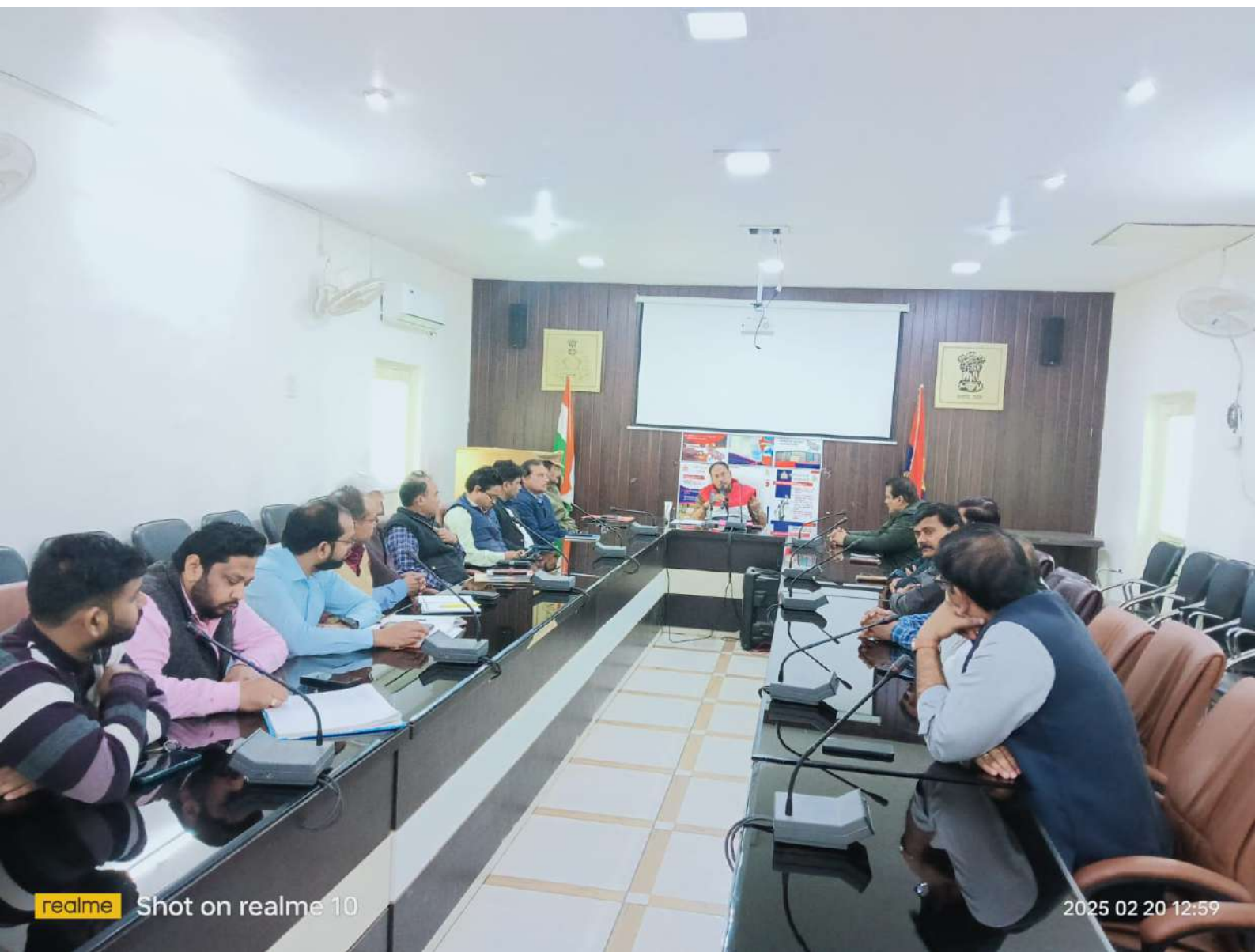
अभियुक्त आकाश गुप्ता उर्फ शालू का अपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 29/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिव कुमार
2. का0 अखिलेश जादौन

मीडिया सेल फतेहगढ़।



realme Shot on realme 10

2025 02 20 12:59